तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/12/24	आज यह पत्रावली पेश हुई बकुलाम पक्षकारान अपने ग्राम और राजस्व पत्रावली तैयार 03.1.25 को पेश हो।
03.01.25	आज यह पत्रावली पेश हुई बराम अपीलार्थी अ०। उन्हें सुना गया। उक्त प्रार्थना से सम्बन्धित मूल प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 257(क) RTA खारिज हो चुका है अतः उक्त प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA का चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रा० पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के लिए राजस्व शाखा दाखिल दफ्तर हो। राधेश्याम मीणा उपखण्ड अधिकारी [illegible]